

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : ४६५/1825/2009/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 5 जून, 2010

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय - आवास भत्ते के संबंध में ।

संदर्भ - म.प्र. शासन, वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.11/1/87/नि-2/चार दिनांक 15-6-87 एवं
ज्ञापन क्रमांक 1157/1531/नि-2/चार/94 दिनांक 18-10-1994 .

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.11/1/87/नि-2/चार दिनांक 15-6-87 की कंडिका 13 के
पश्चात्, ज्ञापन क्रमांक 1157/1531/नि-2/चार, 94 दिनांक 18-10-94 द्वारा स्थापित प्रावधान को निम्नानुसार
संशोधित किया जाता है :-

एक ही परिवार के सदस्य जो एक साथ एक ही मकान में निवास करते हैं, उनमें से कोई एक
राज्य शासन का कर्मी हो, और दूसरा कोई राज्य शासन, अन्य राज्य शासन, केन्द्र शासन,
संघ/संस्था/मंडल/बैंक/निगम इत्यादि का कर्मी हो, तो उनमें से किसी एक को ही आवास भत्ते की
पात्रता होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मन्नीष रस्तोगी)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग